

प्रेषक,

राम केवल,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 06 जुलाई, 2024

विषय- राज्य द्वारा घोषित आपदा सर्पदंश को न्यूनीकृत किये जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत "सर्पदंश न्यूनीकरण परियोजना" के संचालन के लिए धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5749/रा०आ०का०/2024-25, दिनांक 18 जून, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के जनपदों में सर्पदंश की घटनाओं को रोकने/न्यूनीकृत करने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत "सर्पदंश न्यूनीकरण परियोजना" के संचालन के लिए विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत धनराशि ₹0 18,36,700/- के सापेक्ष समर्पित धनराशि ₹0 16,03,705/- का आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-1502/एक-10-2023, दिनांक 19.10.2023 द्वारा सर्पदंश न्यूनीकरण परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियां सम्पादित कराने हेतु जनपद बाराबंकी हेतु ₹0 43,33,350/-, सोनभद्र हेतु ₹0 34,13,100/- एवं गाजीपुर हेतु ₹0 43,45,050/- आवंटित करने के साथ-साथ राहत आयुक्त कार्यालय को ₹0 18,36,700/- की धनराशि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत आवंटित की गई थी। जिसमें से उक्त परियोजना हेतु राहत आयुक्त कार्यालय को आवंटित धनराशि में से मात्र ₹0 2,32,995/- की धनराशि का ही उपभोग किया जा सका, अवशेष धनराशि ₹0 16,03,705/- समर्पित कर दी गयी है।

3- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2023 में लिये गये निर्णयानुसार तथा राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सर्पदंश को न्यूनीकृत किये जाने हेतु संचालित सर्पदंश न्यूनीकरण परियोजना के लिए राहत आयुक्त कार्यालय को राज्य स्तर के कार्यक्रम हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत धनराशि ₹0 18,36,700/- के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में समर्पित धनराशि ₹0 16,03,705/- (सोलह लाख तीन हजार सात सौ पांच मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहपे स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध

- (1) स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय हस्त पुस्तिका/ वजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDM-I, दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाईडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(5) ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से कय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार ही कार्यक्रम समयबद्ध रूप से कराया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू० 16,03,705/- (सोलह लाख तीन हजार सात सौ पांच मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहद् निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by

Ram Kewal

Date: 06-07-2024 13:34:55

भवदीय,

(राम केवल)

विशेष सचिव

संख्या:-1068(1)/एक-10-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/ऑडिट प्रथम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 30प्र० शासन।
- 3- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, 30प्र० शासन।
- 4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/महानिदेशक, एन०एच०एम०, 30प्र०, लखनऊ।
- 5- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र०।
- 7- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), 30प्र० शासन।
- 8- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 10- गाई फाइल।

आजा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2024-2025  
आवंटन दिनांक-15/07/2024

प्रेषण संख्या:- 1068  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1068  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
101 - प्राकृतिक आपदाएं  
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं०, लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	1603705 1603705	1603705 1603705
	योग	वर्तमान प्रगामी	1603705 1603705	1603705 1603705

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सोलह लाख तीन हजार सात सौ पाँच  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह लाख तीन हजार सात सौ पाँच



(संतोष कुमार)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त संगठन  
उ०प्र० शासन